9.7.15	पत्रावली कोर्ट कैम्प जोशलपुरा पर पेश। वादी के भाई ने राजीनामा पेश कर बताया की वादी की मृत्यु ~~[illegible]~~ 04 वर्ष हो गए है। वादी के कोई संतान नही थी बाद मे कोई कार्यवाई नही चाहते है वादी की मृत्यु हो चुकी। वादी के कोई संतान नहीं है भाई वादी का कोई कार्यवाई नही चाहता है। पत्रावली खारीज की जाती है पत्रावली कौशल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल	